मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारियों, आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालकों/तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्रियों एवं संभाग स्तर के मण्डी सचिव के साथ दिनांक 29/09/2025 को आयोजित समय-सीमा समीक्षा बैठक, का कार्यवाही विवरण-

--00--

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारियों, आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालकों, तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्रियों के साथ प्रबंध संचालक सह आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 29/09/2025 को **प्रातः 10.30 बजे** से मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल स्थित सभाकक्ष में समय-सीमा समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल के समस्त अधिकारी, आंचलिक कार्यालयों से संयुक्त संचालक/उप संचालक, तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री एवं संभाग स्तर के मण्डी सचिव वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे। बैठक में निम्नानुसार विषयवार प्रकरणों की समीक्षा की गई :-

(01) भावान्तर भुगतान योजना :-

राज्य शासन द्वारा भावान्तर भुगतान योजना अंतर्गत सोयाबीन की खरीदी करने का निर्णय लिया गया है, जिसके संबंध में एक-दो दिन में राज्य शासन द्वारा पंजीयन, खरीदी, भुगतान आदि से संबंधित दिशा-निर्देश (गाइडलाइन) जारी कर दिए जावेंगे। जिलेवार समीक्षा करने पर भोपाल, इंदौर, उज्जैन संभाग के सभी जिलों में सोयाबीन की ज्यादातर आवक होने की जानकारी दी गई। विशेष रूप से सीहोर, विदिशा, रायसेन, इंदौर, धार, उज्जैन, शाजापुर, देवास, ग्वालियर, गुना, मुरैना, दतिया, अशोकनगर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, डिण्डौरी, सागर, दमोह जिले की कृषि उपज मण्डियों में एवं रीवा संभाग की कुछ मण्डियों में सोयाबीन की आवक होने की जानकारी दी गई। उक्त योजना में कृषि उपज मण्डियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी जिसे दृष्टिगत रखते हुए अगले सप्ताह सभी मण्डी सचिवों के साथ संभाग स्तरीय बैठक लेकर वन-टू-वन चर्चा करने के निर्देश दिए गए। सभी संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालयों को निर्देशित किया गया कि भावान्तर भुगतान योजना के सुपरविजन हेतु योग्य एवं अनुभवी अधिकारी/कर्मचारियों की टीम बनाकर इस काम में लगाया जावे, कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जावे, मण्डियों के भारसाधक अधिकारी, सचिव एवं व्यापारियों की बैठक लेकर व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद करने हेतु तकनीकी संभाग के कार्यपालन यंत्री के साथ इस सप्ताह निरीक्षण कर जिलेवार खरीदी की मैपिंग कर ली जावे। नीलामी, तौल भुगतान की व्यवस्था, रिसाईकलिंग संबंधी गड़बड़ी को रोकने संबंधी व्यवस्थाएं, स्थानीय परिस्थितियों, आवक के अनुसार हर मण्डी के लिए एक स्पेसिफिक व्यवस्था रखी जावे, जिसका एस.ओ.पी. बनाकर

हर मण्डी के लिए एक डिटेल्स आर्डर आंचलिक कार्यालय स्तर से जारी किया जावे। सभी आंचलिक अधिकारियों के द्वारा जिला कलेक्टर्स से सम्पर्क एवं आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए सोयाबीन खरीदी की आवश्यक व्यवस्थाएं बनाई जावे। सोयाबीन खरीदी प्रारंभ होने पर दैनिक वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से मुख्यालय स्तर से समीक्षा करने के निर्देश दिए गए।

(02) <u>सी.एम. हेल्पलाइन की समीक्षा</u> :-

अपर प्रबंध संचालक द्वारा बताया गया कि मण्डी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल में एल-1 पर 07, एल-2 पर 13, एल-3 पर 38 एवं एल-4 पर 36 प्रकरण लंबित हैं। कृषि उपज मण्डी समितियों से संबंधित एल-1 (मण्डी स्तर) पर 97, एल-2(नोडल जिला मण्डी स्तर) पर 60, एल-3(आंचलिक कार्यालय स्तर) पर 260 एवं एल-4 (मण्डी बोर्ड,भोपाल) पर 42 शिकायतें लंबित हैं। विगत दो सप्ताह में लंबित प्रकरणों के निराकरण में बेहतर कार्य हुआ है। बिना अटेण्ड किए कोई शिकायत ऊपर जम्प ना हो, इसका सभी अधिकारी ध्यान रखें तथा लंबित सी.एम. हेल्पलाइन की समीक्षा कर कृषकों के भुगतान, कर्मचारियों के वेतन, पेंशन भुगतान, पेंशन स्वीकृति, लाइसेंस के लंबित प्रकरणों का आगामी एक सप्ताह में निराकरण कर पोर्टल पर जानकारी दर्ज करने के निर्देश दिए गए।

(03) <u>कृषकों के भुगतान की समीक्षा</u> :-

संयुक्त संचालक, मण्डी बोर्ड, ग्वालियर को निर्देशित किया गया कि लश्कर मण्डी के मामले में वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिवक्ताओं को नियुक्त कर माननीय उच्च न्यायालय में शीघ्रता से सुनवाई की कार्यवाही कर कृषकों का भुगतान कराया जावे।

संयुक्त संचालक, मण्डी बोर्ड, जबलपुर ने बताया कि चौरई मण्डी के व्यापारी ने राशि रुपये 50 लाख जमा किए हैं एवं जप्तशुदा उपज की नीलामी हेतु 06 अक्टूबर, 2025 को नीलामी रखी गयी है। अतः शीघ्रता से सभी कार्यवाहियाँ पूर्ण कर कृषकों को भुगतान कराने के निर्देश दिए गए।

(04) <u>विधान सभा आश्वासन की समीक्षा</u> :-

संयुक्त संचालक, मण्डी बोर्ड, जबलपुर ने जानकारी दी कि संभाग में 21 लंबित आश्वासनों में से 02 में माननीय न्यायालय के निर्णय उपरांत कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है, इस सप्ताह इन 02 आश्वासनों के निराकरण का प्रस्ताव मुख्यालय, भोपाल भेज दिया जावेगा। कटनी मण्डी के लेखा-सत्यापन संबंधी 03 लंबित आश्वासनों के संबंध में मण्डी बोर्ड, भोपाल से गठित दलों द्वारा 263 लेखे कम्पलीट कर लिए हैं एवं 3650 लेखों का सत्यापन शेष है, जिस हेतु दलों के एक माह की अवधि पूर्ण होमे से मुख्यालय, भोपाल स्तर से समय

वृद्धि की जाना है, जिस पर नियमन प्रभारी को आवश्यक आदेश प्रसारित करने के निर्देश दिए गए। संयुक्त संचालक, जबलपुर को निर्देशित किया गया कि दलों को लेखा-सत्यापन संबंधी आवश्यक मार्गदर्शन देते हुए सतत् मॉनिटरिंग करें तथा लंबित आश्वासन निराकरण की प्रोग्रेस एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करावें।

(05) <u>किसान संघ के साथ बैठक</u> :-

कृषि उपज मण्डियों की व्यवस्थाओं के संबंध में किसान संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने संबंधी निर्देशों के अनुपालन में संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालयों द्वारा जानकारी दी गई कि जबलपुर संभाग की 35 मण्डियों, ग्वालियर संभाग की सभी 45 मण्डियों, उज्जैन संभाग की सभी 42 मण्डियों में बैठकें करा ली गई है, भोपाल संभाग की 49 में से 41 मण्डियों, इंदौर संभाग की 34 में से 23 मण्डियों, सागर संभाग की 36 में से 32 मण्डियों एवं रीवा संभाग की 18 में से 12 मण्डियों में बैठक करा ली गई है। भोपाल संभाग की शेष 08, इंदौर संभाग की शेष 11, सागर संभाग की शेष 04 एवं रीवा संभाग की शेष 06 मण्डियों में इस सप्ताह बैठकें करा ली जावेगी। उक्त बैठकों में किसान संघों के द्वारा उठाई गई समस्याओं एवं व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा उपरांत सभी आंचलिक संयुक्त संचालक/उप संचालकों को बैठक का कार्यवाही विवरण जारी कराने तथा किसान संघ द्वारा उठाई गयी समस्याओं का समय-सीमा में निराकरण कराने के निर्देश दिए गए।

(06) <u>सी.एम. मॉनिट ए+ प्रकरणों की समीक्षा</u> :-

संयुक्त संचालक, मण्डी बोर्ड, जबलपुर ने बताया कि कटनी मण्डी के अंतर्गत बहोरीबंद में स्वतंत्र मण्डी की स्थापना संबंधी विधान सभा आश्वासन निर्मित है एवं सी.एम. मॉनिट-ए में भी उक्त प्रकरण शामिल है। बहोरीबंद के ग्राम खरगंवा में 6.00 हैक्टेयर भूमि जिला कलेक्टर, कटनी द्वारा आवंटित की गई है, जिसका कार्यपालन यंत्री के साथ निरीक्षण किया गया। उक्त भूमि वन विभाग के बड़े झाड़ का जंगल मद की भूमि त्रुटिवश आवंटित हुई है, यदि उक्त भूमि के स्थान पर अन्य भूमि अर्जन की अनुमति मुख्यालय स्तर से मिल जाती है, तो तदनुसार आगामी कार्यवाही की जा सकती है। इस संबंध में उप संचालक(प्रांगण) भोपाल को बहोरीबंद में स्वतंत्र मण्डी अथवा अतिरिक्त प्रांगण स्थापना के लिए प्रस्ताव का परीक्षण कर नस्ती प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

सी.एम. मॉनिट/सी.एम. घोषणा के जिन प्रकरणों का निराकरण पूर्ण हो चुका है, उन्हें पोर्टल पर अपडेट करने के सहायक संचालक(समन्वय) को निर्देश दिए गए।

(07) <u>अन्य बिन्दु</u> :-

बिन्दुवार चर्चा उपरान्त निम्नानुसार निर्देश दिए गए :-

- मासिक वीडियो कान्फ्रेंस समीक्षा बैठक दिनांक 22.09.2025 का कार्यवाही विवरण जारी करने के सहायक संचालक(समन्वय) भोपाल को निर्देशित किया गया।
- आंचलिक संयुक्त संचालक, मण्डी बोर्ड, ग्वालियर ने बताया कि श्योपुर मण्डी में स्थानीय ट्रांसपोटर्स की कतिपय मांगों के चलते अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों द्वारा मण्डी प्रांगण में माल खरीदने से इंकार कर दिया है, जिससे नीलामी कार्य बाधित हुआ है। मण्डी सचिव द्वारा वस्तुस्थिति कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाई गई है तथा ट्रांसपोटर्स से चर्चा कर मण्डी चालू करने की कार्यवाही जारी है। संयुक्त संचालक, ग्वालियर को पूर्ण वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन ई-मेल से मुख्यालय भेजने एवं गतिरोध को दूर कर मण्डी संचालित करने के निर्देश दिए गए।
- ग्वालियर के मोना ट्रेडर्स फर्जी अनुज्ञा-पत्र मामले में संयुक्त संचालक, मण्डी बोर्ड, ग्वालियर को शीघ्र प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
- आंचलिक उप संचालक, मण्डी बोर्ड, रीवा को कृषि उपज मण्डी समिति सतना के मामले में जिला कलेक्टर से चर्चा कर निराकरण कराने के निर्देश दिए गए।
- आंचलिक संयुक्त संचालक, मण्डी बोर्ड, ग्वालियर को डबरा मण्डी के इलेक्ट्रॉनिक तौल-कांटा के संबंध में 03 दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
- आंचलिक संयुक्त संचालक, मण्डी बोर्ड, भोपाल को बेगमगंज मण्डी के इलेक्ट्रॉनिक तौल-कांटा, मण्डी प्रांगण की व्यवस्था, व्यापारियों के दुकान निर्माण संबंधी मांग का परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
- आंचलिक उप संचालक, मण्डी बोर्ड इंदौर ने बताया कि श्री धर्मेन्द सिंह तोमर के लाइसेंस संबंधी शिकायत के मामले में चाहा गया अभिमत मुख्यालय, भोपाल भेज दिया है, जिसे प्रस्तुत करने के संयुक्त संचालक(शिकायत) को निर्देश दिए गए।
- आंचलिक संयुक्त संचालक, मण्डी बोर्ड,भोपाल को गंजबासोदा मण्डी के अनियमितता मामले में संबंधित के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराकर प्रतिवेदन मुख्यालय, भोपाल को 03 दिवस में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
- आंचलिक संयुक्त संचालक, मण्डी बोर्ड, जबलपुर को कृषि उपज मण्डी समिति सिहोरा जिला जबलपुर के अनियमितता संबंधी मामले में जांच प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

- आंचलिक संयुक्त संचालक, मण्डी बोर्ड, भोपाल को कृषि उपज मण्डी समिति गैरतगंज के इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा मामले में न्यायालयीन स्थगन को रिक्त कराकर तौल कांटा स्थापना की प्रक्रिया पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।
- संयुक्त संचालक(नियमन) भोपाल को हरदा एवं इंदौर मण्डी में आढ़त कटौती संबंधी मामले में आंचलिक अधिकारी भोपाल एवं इंदौर से प्राप्त प्रतिवेदन का परीक्षण कर नस्ती शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
- उप संचालक, मण्डी बोर्ड, इंदौर ने बताया कि खरगोन मण्डी में भारी बारिश के कारण नीलामी कार्य बंद है, जिसपर निर्देशित किया गया कि किसानों, व्यापारियों एवं सर्वसंबंधितों को मण्डी में नीलामी बंद की पूर्व सूचना तत्परता से समयावधि में दी जावे ताकि किसी पक्ष को परेशानी ना हो।

सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि समय-सीमा के अंकित पत्रों पर 15 दिवस के भीतर कार्यवाही पूर्ण करें एवं जिन पत्रों में प्रतिवेदन आंचलिक कार्यालयों अथवा तकनीकी संभागों से प्राप्त किये जाना अपेक्षित हो, उन प्रकरणों में अधिकतम 01 सप्ताह में अनिवार्य रूप से वांछित जानकारी प्राप्त की जावे। यदि किसी अधिकारी द्वारा किसी प्रकरण विशेष में समयावधि चाही जाना है, तो प्रकरण के स्वरूप का उल्लेख करते हुए समय वृद्धि की मांग की जा सकती है। ध्यान रखें कि प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में पूर्ण पारदर्शिता एवं तत्परता से किया जाए।

धन्यवाद ज्ञाप के साथ बैठक का समापन किया गया।

(कुमार पुरूषोत्तम)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क्र./बोर्ड/समन्वय/समय-सीमा/सितम्बर/2025/२२९५ भोपाल, दिनांक 01/~~09~~ 10/2025

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
2. अपर प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
3. अपर संचालक(वित्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
4. संयुक्त संचालक(समस्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
5. अधीक्षण यंत्री(समस्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
6. उप संचालक/कार्यपालन यंत्री/सहायक संचालक/सहायक यंत्री(समस्त)म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
7. संयुक्त संचालक/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/जबलपुर/रीवा।
8. कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकी संभाग-भोपाल संभाग क्र-1/भोपाल संभाग क्रं.-2/होशंगाबाद(नर्मदापुरम)/इंदौर/खरगौन/उज्जैन/मंदसौर/ग्वालियर/मुरैना(चम्बल)/सागर/जबलपुर/सिवनी/रीवा।
9. भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त), मध्यप्रदेश।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल